



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. एमएनएम/5/2013/एमएचआरडी/एसईपीआरओएम/आर.यू.-III

सेवा में,

राधिव,  
उच्चतर शिक्षा विभाग,  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली


छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन  
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003  
6<sup>TH</sup> Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan  
Khan Market, New Delhi-110003  
दिनांक : 23-05-2014

विषय: सहायक निदेशक (विषय) पद पर पदोन्नति के संबंध में श्री मोहन लाल मीणा,  
वैज्ञानिक अधिकारी (सिविल) का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक को आयोग के माननीय सदस्य श्री गैरु लाल मीणा के समक्ष दिनांक  
15.10.2013 को हुई बैठक/सर्चों के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको सतान कर  
भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लेखित बिन्दुओं पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट आयोग को शीघ्र  
मिलवाने का कष्ट करें।

राधिव,  
  
(एस.पी. मीणा)  
सहायक निदेशक

प्रति

1. एसएसए (एमआईसी)।
2. श्री मोहन लाल मीणा, डी.ए.-109एफ, हरी नगर, नई दिल्ली-110064 को कार्यवृत्त की प्रति  
सहित सूचनाार्थ।

सं० एमएलएम/5/2013/एमएचआरडी1/एसईपीआरओएम/आर.यू.-III

अनुसूचित जनजाति के अधिकारी श्री मोहन लाल मीणा को वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) में सहायक निदेशक (विषय) के पद पर पदोन्नति देने के संबंध में दिनांक 15.10.2013 को आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरू लाल मीणा के समक्ष हुई बैठक/चर्चा का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री भैरू लाल मीणा सदस्य
2. श्री आदित्य मिश्रा संयुक्त सचिव
3. श्री के.डी. बन्सौर उप निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

1. श्री आनन्द कुमार सिंह संयुक्त सचिव
2. प्रो. केशरी लाल वर्मा अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग
3. श्री पी.के. साह उप सचिव

प्रार्थी

1. श्री एम.एल. मीणा

पृष्ठभूमि

श्री मोहन लाल मीणा, वैज्ञानिक अधिकारी (सिविल इंजीनियर), वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली ने दिनांक 15.04.2013 का अभ्यावेदन आयोग को भेजकर अनुरोध किया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में सहायक निदेशक के पद रिक्त हैं जिस पर नियमानुसार उनको पदोन्नति दिलायी जाए।

इस प्रकरण में आयोग के पत्र दिनांक 17.04.2013 एवं अनुस्मरण पत्र दिनांक 28.05.2013 द्वारा मामला सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उठाया गया जिसके प्रत्युत्तर में उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने उत्तर/पत्र दिनांक 06.06.2013 आयोग को भेज कर मामले की वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

प्राप्त उत्तर की प्रति सूचनार्थ एवं कामेण्टस् हेतु आयोग के पत्र दिनांक 20.06.2013 द्वारा अभ्यावेदक श्री मोहन लाल मीणा को भेजी गयी। इस संबंध में अभ्यावेदक ने अपना रिजोएन्डर दिनांक 26.06.2013 आयोग को प्रस्तुत किया जिसको आवश्यक कार्रवाई/कामेण्टस हेतु आयोग के पत्र दिनांक 26.06.2013 द्वारा सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) को अग्रेषित किया गया।

इस संबंध में आयोग द्वारा अनुस्मरण पत्र दिनांक 14.08.2013 सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) को भेजा गया। प्रकरण में अभ्यावेदक ने दिनांक 26.08.2013 को एक अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन/परीक्षण उपरान्त आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरु लाल मीणा ने 15.10.2013 को इस संबंध में चर्चा करने के लिए तत्संबंधी विभाग के अधिकारियों को आयोग में बुलाना तय किया। तदनुसार आयोग द्वारा पत्र दिनांक 23.09.2013 संबंधित प्राधिकारीगण को जारी किया गया।

### चर्चा

प्रकरण में चर्चा हेतु श्री आनन्द कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा, अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, दिनांक 15.10.2013 को आयोग के माननीय सदस्य श्री भैरु लाल मीणा के समक्ष उपस्थित हुए। मामले पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा दौरान माननीय सदस्य ने पाया कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में पदोन्नति के सहायक निदेशक पद के लिए रोस्टर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या om no. 36012/2/96-844 (Re) दिनांक 02.07.1997 के अनुसार नहीं बनाया गया है जिसे रिकार्ड करने की आवश्यकता है एवं विसंगतियों को दूर करने के पश्चात् प्रार्थी के मामले में तथा आरक्षण नियमों में प्रावधान अनुपालन होना आवश्यक है जिससे अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को मिलने वाली लाभ से वंचित न किया जाए। दूसरी तरफ आयोग ने यह भी पाया कि पदोन्नति के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या